न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 270/2022

रामोतार मीणा, ग्रा0पो0 भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं, पिनकोड 333024, मो0न0 9983644723

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 25.08.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.07.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 270/2022 पर दिनांक 28.07.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/3977—78 दिनांक 28.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) ने पत्रांक सू0अ0/2022/807 दिनांक 25.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2022 के सन्दर्भ मे इस कार्यालय के पूर्व पत्र कमांक सू0अ0/2022/736 दिनांक 11.07.2022 द्वारा जबाब प्रेषित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक सू0अ0/2022/807 दिनांक 25.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2022 के सन्दर्भ मे उनके कार्यालय के पूर्व पत्र कमांक सू0अ0/2022/736 दिनांक 11.07.2022 द्वारा जबाब प्रेषित किया जा चुका है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), झुंझुनूं द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है कि निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्यालय मे उपस्थित होकर सूचना प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.30 16:33:41 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं